Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] होने से [illegible] व [illegible]
के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील निर्धारण
[illegible] अनुसार प्रकरण [illegible] अधिकारी नहीं है
प्रकरण पत्र [illegible] रूप में चलाने योग्य
नहीं है अतः प्रकरण पत्र [illegible] विरुद्ध [illegible]
[illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible]
मूल रूप के साथ [illegible] की जावे। आदेश सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner